मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 12 जुलाई, 1999 (आषाढ 21,1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री,मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें पटल पर रखेंगे :-

(क) क्रमांक एफ 1-12-98-बाईस-पं. 2, दिनांक 6 अप्रैल, 1999;

(ख) क्रमांक एफ 1-15-98-बाईस-पं.-2, दिनांक 12 अप्रैल,1999;

(ग) क्रमांक एफ 1-17-97-बाईस-पं.-2, दिनांक 12 अप्रैल,1999; तथा

(घ) क्रमांक एफ 1-34-98-बाईस-पं.-2, दिनांक 16 अप्रैल,1999.

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई) 107-98-इक्कीस-ब-(दो), दिनांक 26 अप्रैल, 1999, पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नरेन्द्र भंवरलाल नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लेदर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 12 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93, पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री पी.सी.शर्मा, सदस्य, भोपाल नगर की अनेक बस्तियों में बरसात का पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री हिम्मत कोठारी, मनोहर ऊंटवाल, सदस्य, प्रदेश की सहकारी समितियों एवं मंडी समितियों द्वारा खाद बिक्री में कृषकों का शोषण किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुमति

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 274, इन्दौर-5 के सदस्य, श्री सत्यनारायण पटेल को जुलाई, 1999 सत्र की दिनांक 7 जुलाई से 22 जुलाई, 1999 तक की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति.

5. वक्तव्य

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह, राजस्व मंत्री, दिनांक 17 फरवरी,1999 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्रमांक 2269) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री रत्नेश सॉलोमन, वन मंत्री, दिनांक 24 फरवरी, 1999 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्रमांक 3295) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

-2-

(3) श्री चनेशराम राठिया, पशुपालन मंत्री, दिनांक 24 फरवरी, 1999 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्रमांक 2507) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(4) डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, नर्मदा घाटी विकास मंत्री, दिनांक 5 जुलाई, 1999 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्रमांक 619) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगी.

6. वर्ष 1999-2000 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1999-2000 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित समय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि. (1) श्री सत्यनारायण शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (2) श्री इन्द्रजीत कुमार, आवास और पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 24 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घन्टे (3) श्री इन्द्रजीत कुमार, आवास और पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश किराया विधेयक, 1999 (क्रमांक 25 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (4) श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, 1999 (क्रमांक 26 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.

8. प्रतिवेदन पर चर्चा

3 घन्टे (शेष 2 घन्टे 15 मि.) मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 की अनुशंसाओं के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा (क्रमशः).

भोपाल :
दिनांक : 11 जुलाई, 1999

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.